International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 756-759

पंचायती राज, गोंड जनजाति एवं शासकीय योजना एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 कमलेश पाल

पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया।

शब्द कुंजी : पंचायती राज, गोंड जनजाति, 73वॉ संविधान संशोधन, ग्राम स्वराज व्यवस्था, शासकीय योजना

प्रस्तावना

लोकतंत्रीय राजनैतिक व्यवस्था में पंचायत राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में अनवरत रूचि बनी रहती है। ये लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय एवं विकास कार्यो का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था की पृष्ठभमि अतिप्राचीन रही है। यद्यपि उसका स्वरूप पृथक–पृथक रहा है। वैदिक साहित्य में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छेटी इकाई थी। उस समय इसका मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। वह ग्राम के श्रेष्ठ एंव वयोवृद्ध लोगों से सलाह लेकर अपना कार्य करता था। इसी प्राकर ग्राम संस्थाओं का उल्लेख रामायण एंव महाभारत काव्य ग्रंथों में मिलता है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' मौर्यकाल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। महान मौर्य सम्राटो ने भी शासन की सबसे छोटी इकाई में हस्तक्षेप नहीं किया और ग्राम समुदायों को उसी रूप में रहने दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में ग्राम प्रशासन कायम रहा।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अधियिम बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिसमें ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायतीयराज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने तथा सत्ता को विकेन्द्रित करने के उददेश्य से 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है जिसके लिए ग्राम सभा में कोष की व्यवस्था की गई है जिसके चार भाग है–(1) अन्न कोष (2) श्रम कोष (3) वस्तु कोष (4) नगद कोष।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले के जुन्नार देव जनपद पंचायत के पांच ग्राम पंचायत (1) दमुआ (2) राखी कोल (3) घोरावारी खुर्द (4) करन पियरिया (5) विलावर कला है। इन सभी ग्राम पंचायतो में गोंड जनजातियों की जनसंख्या लगभग 60.00 प्रतिशत से अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद इन्ही जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। सरपंच के पदो पर निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधि निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति संवेदनशील होगें और उन्हें ऊँचा उठाने का प्रयास भी करेगें। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिए किया गया।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छतीसगढ के पठारी तथा जंगली भागों मे अनेक जनजातियों के लोग रहते है जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16 वीं शताब्दी तक था। गोंड शब्द कोंड का हिन्दी रूपान्तर है जिसके लिए कोयतोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिसलप के अनुसार–गोंड या गुण्ड शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियां स्वंय की पहचान 'कोय' या 'कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है। ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहां कही भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते है अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते है।

मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिदवाडा, बैतूल, होशंगावाद,सिवनी, नरसिंहपुर और मडला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने राज्य विकसित किये इनमें से नर्मदा भदी बेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी.विदेशी भाषाओ की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभू शेक के डमरू से हुई, जिसे गोएन्दाधिवासी या गोंड वासी कहा जाता है अति प्राचीन भाषा

होने के कारण गोडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय.समय पर गोंडी साहित्यकारों ने प्रस्तको के माध्यम से प्रकाशित किया हैं। शारीरिक रचना का जहां तक प्रश्न है, गोंडों के बाल. चमडी और आंख की पुतली गाढे रंग की होती है। सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते हैं तथा मस्तक भी सेकरा होता है चेहरा सामान्य रूप से चौडा दिखता है और ठोढी संकरी तथा नुकीली होती है इस प्रकार चेहरे में होठ विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है आंखों में उपरी पलक छुपी सी रहती है तथा उनकी उचाई माध्यम से निम्न तक होती हैं इनके पैर लम्बे धड अपेक्षाकृत छोटे तथा गोड लोग लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते है। प्रायः गोड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते है किन्तु इनके अंग भद्दे रिखाई देते है।

गोंड जनजातियों पर पंचायती राज द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रभाव

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने गांवो के विकास एवं सत्ता विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से पंचायती राज की स्थापना की जहां ग्रामीण विकास से ग्रामीण जन लाभान्वित हुए वहीं इस व्यवस्था से जनजातीय समाज भी लाभन्वित हुआ। जहॉ जनजातियां अपने शान्तिमय जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती थीं वहीं अब ये जनजातीय जन भी जीवन के सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अन्य जातियों से प्रतिस्पर्धा करने लगी है। इस प्रकार से आज जनजातियां पंचायतो के माध्यम से अपने अधिकार के प्रति संवेदनशील हुई है ताकि शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाथ इन्हें भी मिल सके और उनका जीवन स्तर उंचा हो सके।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा शासकीय योजनाओं के लाभन्वित होने के स्थिति से है। आज पंचायतो के माध्यम से ही इनके धार्मिक रीति रिवाजो में बदलाव आया है। अध्ययन में सम्मिलित 56.80 प्रतिशत जनजाति इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस व्यवस्था से इनके धार्मिक रीति रिवाज में बदलाव आया है। पचायतों द्वारा शिक्षा प्रसार जन शिक्षा कार्यक्रम विकास योजनाओं के प्रभाव से इनका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है वर्तमान शासन की आधिकांश योजनाओं के प्रभाव से इनको पंचायतो के माध्यम से मिल रहा हे पंचायतों के द्वारा आवास की व्यवस्था की जा रही है जिसमें ऐसे जनजातीय लोग जो कि स्वयं का आवास नहीं बना पाते है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु 20000 रू तीन किस्तो मे प्रदान की जाती है और आज ये जनजातीय जन इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवात योजना के माध्यम से आवास प्राप्त कर रहे है। अध्ययन में सम्मिलित 83.6 प्रतिशत को इस योजना की जानकारी है तथा 20.00 प्रतिशत लागों को इसका लाभ मिला है। आज पंचायतो के माध्यम से ही खाद्य सामग्री जिसमें गेंहू, चावल, चना, शक्कर एवं मिट्टी का तेल आदि इन्हें कम दामों पर आसानी से मिल जाता है। इसी प्राकर बृद्वावस्था पेंशन द्वारा भी ये जनजातियो जन लाभान्वित हो रहे है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे अक्षम व्यक्ति जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हो गये है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है। इसी प्रकार विधवा पेंशन योजना में आर्थिक रूप से अक्षम एवं महिला जिसका पति मर गया हो तथा जिसका कोई सहयोगी नहीं हो, उसे पंचायतों के माध्यम से गुजारा के लिए भत्ता दिया जाता है, इस योजना का भी लाभ इन जनजतियों को मिल रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना केन्द्र सरकार की ऐसी योजना है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार का वह सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम हो तथा जिसकी कमाई से परिवार का अधिकांश गुजारा चलता है तथा उसकी मृत्यु होने पर पीडित परिवार से 10000 रू की एक मुश्त राशि सहायता के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभार्थी इन जनजातियो को प्राप्त हुआ है, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे गरीब एवं जरूरत मंद परिवार की कन्या विधवा एवं परित्यक्ता को 9000 रू कन्या की गृहस्थी स्थापना हेतु तथा इस योजना के प्रायोजक को 1000 रू की राशि देने का प्रावधान है इसी प्रकार केन्द्र प्रवर्वित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवरों को स्वरोजगार मूलक गतिविधियों से जोडकर उनका आर्थिक उत्थान कर उन्हें गरीबी रेखा के उपर लाना है, इस योजना का क्रियान्वयन बैकों एवं केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जिस पंचायत द्वारा बैंक की मांग पर अनुदान की प्रति पूर्ति की जाती है। इसी प्रकार वर्षा बीमा येजना जो कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई है इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जिसमें बाढ एवं ओले गिरने से फसलों के नुकसान होने पर उनकी जमीन के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है, इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण जनजातियों को मुक्त में विजली कनेंक्शन दिया जाता है अध्ययन में सम्मिलित लगभग 48.80 प्रतिशत उत्तरदाता इस योजना की जानकारी से ही अनाभिज्ञ हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के लाभार्थियों को जानने का प्रयास किया गया है जिसमें 51.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना की जानकारी ही नही है जबकि 48.40 प्रतिशत उत्तरादाताओं ने यह स्वीकार किया कि उन्हें इस योजना की जानकारी है जिसमें से 92 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि हमें इस योजना का लाभ भी मिला है। ज्यादातर जनजातीय उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकरी पुरूष एवं माहिला स्वास्थ्या कार्यकर्ताओं के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब उसके लिए उनको नगरों और शहरों में नहीं जाना पडता है जिसमें पंचायत का भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रू एवं शहर क्षेत्र की महिलाओं के 1000 रू की सहयोग राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 86.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजना की जानकारी स्वीकार की और इसमें 71.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में इस योजना का लाभ भी प्राप्त हुआ। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि इतना अधिक संख्या में जो लोगें ने दवाइयां पौष्टिक आहार, विटामिन की गोलियां आदि आसानी से मिल जाती है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ भी जनजातियों को आसानी से मिल जाता है। इस योजना में लगभग 86.40 प्रतिशत जनजातियों को इसकी जानकारी है, जिसमें से 15.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में इसका लाभ भी मिला है जबकि 13.6 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं जिन्हें इस योजना की जानकारी ही नही है। अतः कहा जा सकता है कि इस योजना से जनजातीय जन लाभान्वित होते हैं, जिसके इनको घर पर ही आसानी से काम मिल जाता है और इन्हें पलायन नहीं

करना पडता है। और इससे इनके परिवार का भरण पोषण भी आसानी से हो जाता है। बालिकाओं के सम्मान तथा उनके जन्म को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना की शरूआत की गई। इस योजना में 15 अगस्त 1977 के बाद जन्म लेन वाली गरीब परिवार की बालिका को 500रू तक की आर्थिक सहायता दी जाती है और उसकी शिक्षा के लिए 6 वर्ष बाद वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। जहां इस योजना की जानकारी 54.40 प्रतिशत लोगों को है वहीं अध्ययन में सम्मिलित 49.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजन की कोई जानकारी नहीं है जबकि 18.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं की उक्त योजना का लाभ भी दिया है

खाद्य क्रेडिट योजना की शुरूआत प्रदेश सरकार ने 2005 में शुरू की जिसके अंतर्गत ग्रामीण जन जातियों का खाद्यानों का उचित मूल्य दिलाया जा सके। इसमें लगभग 10.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उक्त योजना की जानकारी है जबकि 84.80 प्रतिशत जनजातियों को योजना की ही जानकारी नही है जबकि लाभार्थियों की संख्या शून्य है। इसी प्रकार ग्राम बाजार योजना की जानकारी 90 प्रतिशत लोगों को नहीं है जबकि 10 प्रतिशत ऐसे लोग है जिन्हं इस योजना की जानकारी है आम आदमी बीमा योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पीडित परिवार को प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना से पीडित होने पर आर्थिक सुविधा एवं सुरक्षा दी जाती है, इस योजना की जानकारी 18.60 प्रतिशत लोगों को है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की भी जानकारी बहुत कम जनजातियों को है। अध्ययन में सम्मिलित लगभग 115 पुरूष उत्तरदाताओं में से 29.01 प्रतिशत लोगों को इस योजना की जानकारी है और 70.99 प्रतिशत जनजाति इस योजना से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। इसी प्रकार 63 महिला उत्तदाताओं में से 28.41 प्रतिशत को इस योजना की आधी अधूरी जानकारी है जबकि 71.59 प्रतिशत महिला इस योजना से अनभिज्ञ हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं में बहुत कम इस योजना की जानकारी है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम रोजगार योजना की जानकारी भी बहुत कम लोगों को है इस योजना में शिक्षित बेरोजगारेां को आर्थिक रूप से छोटे–छोटे ग्रामीण उद्योग बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, बालिकाओं को शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने बालिकाओं के भविष्य की आधाराशिला रखने, बालिका भूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से चलाई गई। इस योजना का लाभ बहुत कम लोगों को मिला है जबकि मात्र 33.6 प्रतिशत लागों को इस योजना की जानकारी है और कार्य ज्यादा 66.4 प्रतिशत को इस योजना की जानकारी ही नहीं है गांव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव की एक मेंधावी छात्रा को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है जिसमें छात्रा को 5000रू तक सालाना आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है इस योजना की जानकारी 51.60 प्रतिशत अध्ययन में सम्मिलित लोगों को है जबकि 48.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस योजना की जानकारी नही है लेकिन ग्रामीणों ने स्वीकार किया कि इस योजना का लाभ पात्र बालिका को है, जिसे सभी ने स्वीकार किया ।

सारांशत्ः प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से स्पष्ट हुआ कि कुछ ऐसी योजना जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चलाई गयी, उनकी जानकारी अधिकांश लोगों को है जबकि प्रदेश सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाए हैं जो मात्र कागजों पर ही चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का जनजातीय जीवन से कोई ताल्लुक ही नही है। ज्यादा संख्या में लोगों ने ऐसी योजनाओं की जानकारी स्वीकार की जो कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी इन्हें है ही नही, ऐसी भी काम की तो कोई बात ही नहीं हो कुछ जगहों पर पंचायतों ने प्रेरक का कार्य किया है जैसे नशावत्ति पर अंकुश, शिक्षा जगरूकता, भवन, सडक, नलकूप, विजली जैसी मूलभूत समस्यओं पर कॉफी कुछ किया गया है जिससे ये जनजातियो लाभन्वित हो रही हैं।

सुझाव

- पंचायत मे पंचायत भवनों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की एक सूची लगायी जानी चाहिए।
- पंचाय स्तर पर इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर जो जनजातीय जन इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन्हें और लोागें को पुनः योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को इन योजनओं के बारे में बताएं और सभी लोग लाभ ले सकें।
- पंचायत स्तर पर इन योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए पुरूषों एवं महिलाओं की अलग अलग टोलियां बनानी चाहिए
- पंचायत स्तर पर समय–समय पर इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इन योजनाओं के प्रति जनजातियां सक्रिय रहें।

सन्दर्भ

1. भट्ट, आशीष (2002)ः लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बसु, दर्गा दास (2013)ः भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुडगॉव हरियाणा।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (2007)ः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (2003)ः जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. खेत्रपाल, बी सी (2010)ः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन 2000), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1994)ः वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर।
8. पालीवाल, एस एल (2000)ः जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष 35 अंक 3–5
9. प्राथमिक जनगणना सार 2011 खण्ड़ 2 जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
10. रामप्यारे, (1991)ः हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
11. सिंह, बी पी (2004)ः म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।
12. सिंह, बी पी (2004)ः म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता 41, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल।

13. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट, आषीष (2011): मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
14. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2001): मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
15. त्रिपाठी, गोपाल (1973): भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति।
16. तिवारी, शिवकुमार (2000): मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
17. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2002): जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
18. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (2003): ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, काउन पब्लिकेशन्स राची।
19. वैद्य, नरेश कुमार (2003): जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।